

पटवारी रिपोर्ट

श्रीमान जी, वर्तमान जमा (2072-75) के खाता सं. 372, 109, 250, 28, 29, 30, 374, 45, 617 में 'शर्मा' का नाम धासीलाल S/O का नाम दर्ज है जो कि रिपोर्ट में धासीलाल के पदनाम पर है। यथा आधार कार्ड, बैंक पासबुक में शर्मा का नाम धासीलाल S/O कानाराम दर्ज है। अतः उपरोक्त खातों के शर्मा का नाम धासीलाल S/O का नाम के स्थान पर धासीलाल S/O कानाराम दर्ज किया जाना उचित होगा।

[Signature]
23-12-25

भू अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट

श्रीमानजी, रिपोर्ट पटवारी एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तावेज मनुसार दुरुस्त किया जाना उचित है।

[Signature]
23-12-25
भू अभिलेख निरीक्षक

तहसीलदार की रिपोर्ट

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी द्वारा यथाप्रस्तावित।

[Signature]
शिविर प्रभारी

तहसीलदार (भू. अ.) नसीराबाद

2025
822

प्रभारी अधिकारी "ग्रामीण सेवा शिविर-2025"

क्रमांक/496

दिनांक:- 23-12-25

आदेश

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार से अभिलेख में दुरुस्ती हेतु निवेदन किया गया है एवं इस दुरुस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं भू.अभिलेख निरीक्षक की जाँच रिपोर्ट व तहसीलदार नसीराबाद की अनुशंभा अनुसार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम तहसील नसीराबाद की जमाबंदी सम्वत् 2072-75 के खाता संख्या 372, 109, 250, 28, 29, 30, 373, 374, 45, 617 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टी को निम्नलिखित रूप में शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.स.	पूर्व इन्द्राज का विवरण			स्वीकृत किया गया नया इन्द्राज		
	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा	खातेदार का विवरण	खसरा नम्बर	रकबा
1)	धासीलाल S/O कानाराम शेख नसीराबाद	उपरोक्त वर्गित खा. सं. के अनुसार		1) धासीलाल S/O कानाराम शेख नसीराबाद	उपरोक्त वर्गित के अनुसार	खा. सं.

क्रमांक :- 6547-48

दिनांक 23-12-25

प्रभारी अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद, जिला अजमेर

प्रतिक्रिया :-
1) तहसीलदार नसीराबाद को प्रेषित
2) आदेश पत्रावली